



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-01022026-269736
CG-OR-E-01022026-269736

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 396]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 29, 2026/माघ 9, 1947

No. 396]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 29, 2026/MAGHA 9, 1947

रेल मंत्रालय

(पूर्वी तट रेलवे)

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 29 जनवरी, 2026

का.आ. 424(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम १९८९ (१९८९ का २४) की धारा २ के खंड ७(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ओडिशा राज्य में एतद्वारा निचे दी गई तालिका के स्तम्भ (२) में वर्णित अधिकारियों के स्तम्भ (३) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के क्षेत्र के सम्बन्ध में इस तरह कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती है।

तालिका

क्रम. सं.	सक्षम प्राधिकारी का नाम	विशेष रेल परियोजना के क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	तहसीलदार, मुनिगुडा	खुर्दा रोड (केयूआर) सेक्शन के अंतर्गत दोइकल्लू(DKLU)-मुनिगुडा(MNGD) के बीच किमी 285/10-11 पर मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग संख्या आरवी-225 को बंद करने के बदले में सड़क ऊपरी पुल का निर्माण।

2.	तहसीलदार, मुनिगुडा	खुर्दा रोड (केयूआर) सेक्शन के अंतर्गत मुनीगुडा(MNGD)-बिस्समकट्टक(BMCK) (मुनीगुडा यार्ड) के बीच किमी 288/17-18 पर मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग संख्या आरवी-227 को बंद करने के बदले में सड़क ऊपरी पुल का निर्माण।
3.	तहसीलदार, बिस्समकट्टक	खुर्दा रोड (केयूआर) सेक्शन के अंतर्गत मुनीगुडा(MNGD)-बिस्समकट्टक(BMCK) के बीच किमी 292/1-2 पर मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग संख्या आरवी-229 को बंद करने के बदले में सड़क ऊपरी पुल का निर्माण।
4.	तहसीलदार, रायगड़ा	खुर्दा रोड (केयूआर) सेक्शन के अंतर्गत सिंगापुर रोड(SPRD)-रायगड़ा(RGDA) के बीच किमी 341/3-4 पर मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग संख्या आरवी-250 को बंद करने के बदले में सड़क ऊपरी पुल का निर्माण।
5.	तहसीलदार, रायगड़ा	खुर्दा रोड (केयूआर) सेक्शन के अंतर्गत रायगड़ा(RGDA)-लड्डा(LDX) के बीच किमी 347/2-3 पर मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग संख्या आरवी-252 को बंद करने के बदले में सड़क ऊपरी पुल का निर्माण।

[फा. सं. सीएओ/सी/आरएसपी/बीबीएस/2026/05 आरओ/ओडिशा/7(ए)]

सुधीर कुमार परिडा, मुख्य अभियंता(निर्माण-III)

MINISTRY OF RAILWAYS

(East Coast Railway)

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 29th January, 2026

S.O. 424(E).— In exercise of the powers, conferred by Clause 7(A) of Section-2 of the Railways Act, 1989(24 of 1989) the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column(2) of the Table below as the Competent Authority to perform the function of such authority under said Act in respect of area of the Special Railway Project mentioned in column(3) of the Table below in the State of Odisha with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Sl. No.	Competent Authority	Area of the Special Railway Project
(1)	(2)	(3)
1.	The Tahasildar, Muniguda	Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned LC No.RV-225 at Km 285/10-11 between Doikallu(DKLU)-Muniguda(MNGD) under Rayagada (RGDA) Division.
2.	The Tahasildar, Muniguda	Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned LC No.RV-227 at Km 288/17-18 between Muniguda(MNGD)-Bissamcuttack (BMCK)(Muniguda Yard) under Rayagada (RGDA) Division.
3.	The Tahasildar, Bissamcuttack	Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned LC No.RV-229 at Km 292/1-2 between Muniguda(MNGD)-Bissamcuttack(BMCK) under Rayagada (RGDA) Division.
4.	The Tahasildar, Rayagada	Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned LC No.RV-250 at Km 341/3-4 between Singapur Rd.(SPRD)-Rayagada(RGDA) under Rayagada (RGDA) Division.
5.	The Tahasildar, Rayagada	Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned LC No.RV-252 at Km 347/2-3 between Rayagada(RGDA)-Ladda(LDX) under Rayagada (RGDA) Division.

[F. No. CAO/C/RSP/BBS/2026/05 ROB/ Odisha/7(A)/]

SUDHIR KUMAR PARIDA, Chief Engineer (Construction-III)